

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या- 5/श्रम स्था0(2)-29/2005श्र0सं0- 136 पटना, दिनांक-21.08.15

विभागीय आदेश सं0-940 दिनांक-26.03.2014 द्वारा श्री देव नन्दन यादव, अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया गया था । विभागीय आदेश सं0- 2357 दिनांक-21.08.2015 द्वारा किये गये कार्य आवंटन के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत श्री जय नारायण झा, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी (अपर समाहर्ता स्तर) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है ।

2. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अक्र05/ना/एन/वि0/21/8/15
(अंमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0(2)-29/2005श्र0सं0- 136 पटना, दिनांक-21.08.15

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, 'ई' गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अक्र05/ना/एन/वि0/21/8/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0(2)-29/2005श्र0सं0- 136 पटना, दिनांक-21.08.15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/ निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/सभी विभागीय पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अक्र05/ना/एन/वि0/21/8/15
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0(2)-29/2005श्र0सं0- 136 पटना, दिनांक-21.08.15

प्रतिलिपि- विधि पदाधिकारी-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अक्र05/ना/एन/वि0/21/8/15
सरकार के अवर सचिव